राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवड़ा आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 03/2017

दायर दिनांक:–05.04.2017

फैसल दिनांक:–27.03.2019

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सीमलवाडा, जिला रसद अधिकारी कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. फर्म मै. अवनी इण्डेन गैस सर्विस, सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री सुनील जोशी, प्रोपाईटर फर्म अवनी इण्डेन गैस सर्विस, सीमलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत

– : आदेश : –

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक सीमलवाडा जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर द्वारा विरूद्ध विपक्षी के इस आशय के प्रस्तुत किया है कि सीमलवाडा स्थित अवनी गैस एजेन्सी राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लायसेन्सिंग कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2(ख) 11 एवं एल.पी.जी. (Regulation of Supply & Distribution) आदेश 2000 के खण्ड 9(घ) के उल्लंघन करने से 60 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात (निस्तारण) कराने हेतु पेश किया हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री रामलाल रोत पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नागरिया पंचेला पंचायत समिति झौथरी ने उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा को विपक्षी फर्म के विरूद्ध शिकायत पेश की जाने पर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के निर्देश में सहायक प्रबन्धक इण्डेन गैस उदयपुर के साथ प्रार्थी द्वारा जांच की गई। विपक्षी को मा0 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत सीमलवाडा व आस–पास के पात्र उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन जारी करने लाईसेन्स नंबर 118/2014 जारी किया गया हैं। उज्जवला योजना के तहत पात्र परिवार की महिला मुखिया का निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी करने के प्रावधान हैं। पूर्व सरपंच रामलाल द्वारा की गई शिकायत में उल्लेखित महिला उपभोक्ताओं में से श्रीमती नबु पत्नि रमेश नाई निवासी चोतरा फला 300/–रू. व श्रीमती तुलसी पत्नि रमणलाल, श्रीमती कंकु पत्नि कान्ति डामोर व श्रीमती शारदा पत्नि अमृतलाल डामोर सभी निवासी तम्बोलिया से अवैद्य रूप से 500–500/–

Scanned by CamScanner

रूपये विपक्षी द्वारा वसूलने की पुष्टि उनके बयानों से की गई। उक्त राशि दिये जाने पर ही गैस सिलेण्डर, रेग्यूलेटर, चूल्हा तथा रबर ट्यूब दिये गये किन्तु किसी को भी वक्त जांच तक गैस कनेक्शन के संबंध में दस्तावेज, एस.वी.रसीद, उपभोक्ता डायरी नहीं दी गई, जबकि ऑनलाईन कनेक्शन का दस्तावेज जनरेट होने के उपरान्त ही गैस कनेक्शन जारी किया जाता है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में यह भी अंकित किया है कि श्री मोहन पिता शंकर कोरवा, श्री मदनलाल पिता दीवाजी व थाना पिता वसन्त रोत निवासी नागरिया पंचेला ने भी गैस कनेक्शन संबंधी कागजात देने के दबाव में 300/– से 500/– रूपये दिये जाने के अपने बयान से पुष्टि की हैं। इन तीनों उपभोक्ताओं को भी वक्त जांच तक गैस कनेक्शन के दस्तावेज नहीं दिये है जबकि चूल्हा, गैस सिलेण्डर, रेग्यूलेटर आदि दिये जाना बताया गया हैं।

इसी तरह दिनांक 21.07.2016 को विपक्षी गैस एजेन्सी द्वारा अटल सेवा केन्द्र नागरिया पंचेला पर 60 उपभोक्ताओं को उज्जवला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन जारी कर चूल्हा, रेग्यूलेटर, रबर ट्यूब दिये गये हैं। इन उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन बाबत दस्तावेज वक्त जांच तक नहीं दिये गये। विपक्षी गैस एजेन्सी द्वारा अवैद्य रूप से 500–500/– रूपये देने पर ही गैस कनेक्शन देने का दबाव बनाने के तथ्यों की पुष्टि की गई है। जांच के दौरान उपस्थित गैस एजेन्सी कार्यकर्ता श्री कमलेश द्वारा ग्राम वैंजा सादडिया, शीथल, नागरिया पंचेला आदि से उपभोक्ताओं से 300/– से 500/– रूपये तक वसूलने के तथ्य स्वीकार किये हैं।

दौराने जांच ग्राम पंचायत नागरिया पंचेला अटल सेवा केन्द्र पर विपक्षी द्वारा काफी समय से 60 गैस भरे सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से रखे जाना पाया गया। भरे हुए गैस सिलेण्डर केवल विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित गोदाम में ही रखा जाना होता हैं। इन गैस सिलेण्डरों में अत्यन्त ज्वलनशीन एल.पी.जी. संग्रहीत होने से बडी संख्या में अनाधिकृत आबादी स्थल पर रखने से जान–माल को खतरे में डालने का विपक्षी द्वारा अपराध किया हैं। विपक्षी का उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में आता हैं। आबादी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से बडी संख्या में भरे हुए गैस सिलेण्डर रखने से 60 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त सरकार कर फर्म जय दूर्गा इण्डेन गैस, इण्डेन डीलर डूंगरपुर को सुपूर्द किये गये।

विपक्षी गैस ऐजन्सी द्वारा उज्जवला योजना अन्तर्गत उपभोक्ताओं से 300 से 500/–रूपये प्रति केनक्शन अवैद्य रूप से वसूल करने गैस कनेक्शन जारी करने के बावजूद कनेक्शन के दस्तावेज नहीं देना तथा 500/– रूपये देने पर ही दस्तावेज देने का दबाव बनाने व अटल सेवा केन्द्र नागरिया पंचेला में 60 भरे हुए गैस सिलेण्डर काफी समय से संग्रहीत करना राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लायसेन्सिंग कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की संख्या 2(ख) 11 एवं एल.पी.जी. (Regulation of Supply

Scanned by CamScanner

& Distribution) आदेश 2000 के खण्ड 9(घ) का उल्लंघन कर विपक्षी ने गंभीर अनियमितता की गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जप्तशुदा 60 घरेलू सिलेण्डर सिल्ड पैक 14.20 कि.ग्रा. केटेगरी वाले को राजसात करने का अनुरोध किया हैं।

प्ररकण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस तलब किया गया। फर्म के प्रतिनिधी ने उपस्थि होकर दिनांक 26.04.2017 को जवाब में दस्तावेज की छायाप्रति पेश की जो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षी द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु अभिभाषक का वकालतनामा पेश नहीं किया हैं। विपक्षी दौराने कार्यवाही बावजूद सूचना के दिनांक 21.03.2018 को हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पैरोकार की एकतरफा बहस समायत की गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना–पत्र पर अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई। विभागीय पैराकार ने बहस में बताया कि विपक्षी गैस एजेन्सी द्वारा उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के बजाय गैस कनेक्शन के दस्तावेज उपभोक्ताओं को देने हेतु 300 से 500/–रु की अवैद्य वसूली की गई है जिसकी पुष्टि प्रार्थना–पत्र में वर्णित उपभोक्ताओं के बयानो से होती है। विपक्षी गैस एजेन्सी के कार्यकर्ता श्री कमलेश द्वारा भी गैस कनेक्शन के कागजात व उपभोक्ता डायरी उपलब्ध कराने के एवज में 500/– रूपये तक उपभोक्ताओं से वसूलने के तथ्य स्वीकार किये हैं। विपक्षी गैस एजेन्सी द्वारा नागरिया पंचेला के अटल सेवा केन्द्र जो आबादी में हैं। विस्फोटक विभाग के अनुमोदित गोदाम के अलावा अन्य आबादी स्थल में अनाधिकृत रूप से 60 भरे हुए गैस सिलेण्डर रखना नियम विरूद्ध हैं। विभागीय पैराकार ने विपक्षी के उक्त कृत्य को राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लायसेन्सिंग कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की संख्या 2(ख) 11 एवं एल.पी.जी. (Regulation of Supply & Distribution) आदेश 2000 के खण्ड 9(घ) के उल्लंघन की श्रेणी मे आता हैं। अतः जप्तशुदा 60 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के सील्ड पैक 14.2 कि.ग्रा. केटेगरी को राजसात करने का अनुरोध किया। मै0 अवनी इण्डेन गैस सर्विस सीलवाडा ने प्रस्तुत जवाब के तथ्यों के अनुसार दिनांक 19.08.2016 को मा0 विधायक महोदय के समक्ष घोषणा की गई कि दिनांक 20.08.2016 को शेष 60 पात्र उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरीत किये जायेंगे। उक्त योजना के तहत दिनांक 20.08.2016 को 60 गैर सिलेण्डर, 60 रेग्यूलेटर, 60 चूल्हे व सुरक्षा नली व कनेक्शन के दस्तावेज सहित गैस कनेक्शन वितरण हेतु नागरिया पंचेला ग्राम पंचायत में फर्म प्रतिनिधी पहूंचे। उज्जवला योजनान्तर्गत 60 पात्र उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन व तत्संबंधी सामग्री वितरण के कार्यक्रम हेतु मा0 विधायक महोदय निर्धारित दिनांक 20.08.2016 को ग्राम नागरिया पंचेला के ग्राम पंचायत पर नहीं पहूंचे। मा0 विधायक का

Scanned by CamScanner

दिनांक 20.08.2016 को सायं तक इन्तजार किया गया। गैस एजेन्सी के कार्यकर्ता द्वारा गैस के सिलेण्डर वापस ले जा रहे थे तब ग्राम पंचायत नागरिया पंचेला के सरपंच द्वारा अटल सेवा केन्द्र में 60 गैस के भरे सिलेण्डर, चूल्हे, रेग्यूलेटर आदि रखाकर ताला बंद कर चाबी उनके पास रखी गई। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा मा0 विधायक महोदय के आने पर योजना 60 पात्र उपभोक्ता को गैस कनेक्शन वितरण किया जायेगा। उक्त सिलेण्डर उनके गांव के उपभोक्ताओं के हैं, इन पर गैस एजेन्सी का कोई अधिकार नहीं होने के तथ्य जवाब में विपक्षी द्वारा प्रकट किये गये हैं। महिला उपभोक्ता द्वारा 300 से 500/– रूपये मांग की जाने की शिकायत के क्रम में जवाब में विपक्षी द्वारा आरोप निराधार होना बताकर योजना अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों के समक्ष सामूहिक रूप से गैस कनेक्शन वितरित किये गये हैं। ग्राम पंचायत झौथरी, रतनपुरा, पोहरी पटेलान, सासरपुर व शीथल द्वारा मैसर्स अवनी इण्डेन गैस सर्विस सीमलवाडा की कोई शिकायत नहीं होने के पत्र विपक्षी ने जवाब के साथ पेश किये हैं। गैस सिलेण्डर ग्राम पंचायत नागरिया पंचेला द्वारा अटल सेवा केन्द्र में रखे गये हैं जिसमें विपक्षी द्वारा अनुमोदित गोदाम पर गैस सिलेण्डर न रखने का दोषी गैस एजेन्सी प्रतिनिधी नहीं हैं। जप्तशुदा 60 घरेलु गैस सिलेण्डर वापस लौटाने विपक्षी ने अपने जवाब में अनुरोध किया हैं।

विभागीय पेरोकार की एक तरफा बहस एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर हमारे द्वारा मनन किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी को राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्शन (लाईसेन्स कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के तहत गैस सिलेण्डर पंजीकृत उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु अनुज्ञा–पत्र 118/2014 जारी किया गया है। उक्त अनुज्ञा–पत्र की शर्तो के अनुसार विपक्षी को गैस सिलेण्डर विस्फोटक विभाग के अनुमोदित गोदाम पर ही रखे जाने होते हैं। विपक्षी द्वारा उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन आवंटन हेतु ग्राम नागरिया पंचेला के ग्राम पंचायत भवन के कमरे में 60 गैस भरे सिलेण्डर रखा जाना अनुज्ञा–पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन हैं। विपक्षी द्वारा आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र नागरिया पंचेला के भवन में अत्यन्त ज्वलनशील एल.पी.जी. गैस के 60 भरे हुए सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से रख कर दुर्घटना की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए आमजन को खतरे में डालने का उपराध कारित किया गया हैं। विपक्षी का कथन है कि उज्जवला योजनान्तर्गत 60 गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को वितरण हेतु मा0 विधायक महोदय दिनांक 20.08.2016 को नागरिया पंचेला नहीं पहुंचने पर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा 60 गैस से भरे सिलेण्डर मय सामग्री अटल सेवा केन्द्र में रखवा दिये गये। सरपंच ग्राम पंचायत नागरिया पंचेला द्वारा अटल सेवा केन्द्र में जबरन 60 भरे हुए गैस के सिलेण्डर व तत्संबंधी सामग्री रखवाई गई तो विपक्षी को इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को दी जानी चाहिये थी। विपक्षी द्वारा

Scanned by CamScanner

उक्त संबंध में जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को समय पर सूचना नहीं देने से स्पष्ट हैं कि विपक्षी गैस एजेन्सी भी अटल सेवा केन्द्र में 60 गैस से भरे हुए सिलेण्डर व तत्संबंधी सामग्री रखने में परोक्ष रूप से सहमत हैं। विपक्षी का उक्त कथन बनावटी होकर विश्वसनीयता प्रतीत नहीं होता हैं। प्रकरण में विपक्षी गैस एजेन्सी द्वारा उज्जवला योजना के पात्र उपभोक्ताओं से निःशुल्क गैस कनेक्शन के कागजात व डायरी देने हेतु 300/– से 500/– रूपये अवैद्य रूप से वसूल करना नियमों के प्रतिकुल हैं। विपक्षी गैस एजेन्सी द्वारा अटल सेवा केन्द्र में अनाधिकृत रूप से रखे इण्डेन कम्पनी के 60 घरेलु गैस से भरे हुए (14.2 कि.ग्रा.) सिलेण्डर रखकर राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस (लाइसेन्सिग कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के तहत जारी लाईसेन्स की शर्त संख्या 2(ख), 11 एव एल.पी.जी. (Regulation of Supply & Distribution) Order 2000 के खण्ड 9(घ) का स्पष्ट उल्लंघन पाया जाने से जप्तशुदा 60 भरे हुए गैस सिलेण्डर को राजसात करना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी मैसर्स अवनी गैस सर्विस इण्डेन सीमलवाड़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से भण्डारित 60 घरेलु एल.पी.जी.गैस से भरे हुए सिलेण्डर (वजन 14.2 कि.ग्रा. प्रति सिलेण्डर) को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त 60 घरेलु एल.पी.जी.गैस से भरे हुए सिलेण्डर (वजन 14.2 कि.ग्रा. प्रति सिलेण्डर) सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर गैस सिलेण्डर नियुक्ता कम्पनी में अमानत के रूप में रसीदन सुपूर्द करें तथा 60 गैस से भरे हुए सिलेण्डर की 14.2 कि.ग्रा. की दर से अधिकतम राशि नियुक्ता कम्पनी से प्राप्त करे। 60 गैस सिलेण्डरों की गैस की प्राप्त राशि अमानत के रूप में जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर में जमा रखी जावें। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को गैस एजेन्सी द्वारा गैस कनेक्शन हेतु पात्र उपभोक्ताओं से अवैद्य रूप से वसूली राशि के मामले में विस्तृत जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें। यह आदेश उच्चतर न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन रहेगा। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद नंबर से कम की जाकर फैसल में शुमार हो।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner